Toppersnotes
Unleash the topper in you

RAS

सामान्य अध्ययन पेपर-III

भाग-I

भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली

SIERRA INNOVATIONS
Private Limited

भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली

CONTENTS **PAGE NO.**

CONTENTS	PAGE NO.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना	1-7
देश का एकीकरण	8-28
संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	29-46
भारतीय संविधान निर्मात्री सभा	47-55
मौलिक अधिकार	56-100
महत्वपूर्ण प्रश्न	101-105
महत्वपूर्ण तथ्य	106-109
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व	110-119
मौलिक कर्तव्य	120-124
संघ सरकार कार्य पालिका:-	**125-162**
-राष्ट्रपति	125-144
-उपराष्ट्रपति	145-148
-प्रधान मंत्री	149-154
-मंत्री परिषद्	155-162

भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली

संसदीय शासन प्रणाली	163-167
संघीय और एक व्यवस्थित व्यवस्था	168-170
संविधान संशोधन	171-178
संसद	179-239
बजट	240-245
संसदीय समिति	246-250
न्यायालय	251-258
सुप्रीम कोर्ट	259-268
उच्च न्यायालय	269-273
अधीनस्थ न्यायालय	274-279
महान्यायवादी	280-287
योजना आयोग	288-290
राष्ट्रीय विकास परिषद	291-292
इंटर स्टेट काउंसिल	293
क्षेत्रीय परिषद	294-295
राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व	296-303
आपातकालीन प्रावधान	304-311
नियंत्रक और लेखा परीक्षक	312-314
वित्त आयोग	315-317
नगर पालिका	318-327
चुनाव आयोग	

* Consitution *

प्रस्तावना → "संविधान की आत्मा"

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए,

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26-11-1949 ई (मिति मार्गशीष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

संविधान की प्रस्तावना को "संविधान की कुँजी" कहा गया है।

प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखण्डता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गये।

प्रस्तावना में भारत की 5 विशेषताएँ :→

- प्रभुत्व सम्पन्न
- समाजवादी
- पंथ निरपेक्ष
- लोकतंत्र
- गणराज्य

* नागरिकों के लिए 3 न्याय :-
  - सामाजिक
  - आर्थिक
  - राजनैतिक
  } Russian Constitution

* 5 प्रकार की स्वतंत्रता :-
  - विचार
  - अभिव्यक्ति
  - विश्वास
  - धर्म
  - उपासना

* 2 प्रकार की समता / समानता → प्रतिष्ठा, अवसर की समानता

* बंधुता → व्यक्ति की गरीमा व राष्ट्र की एकता व अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता

Imp * संविधान ~~लागु~~ तैयार → 26 ~~Jan~~ Nov. 1949
Imp * संविधान लागु → 26 January 1950
Imp * संविधान बनाने में लगा समय → 2 साल, 11 माह, 18 दिन

→ संविधान निर्मात्री सभा में नेहरु जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर हमारी प्रस्तावना आधारित है।

→ 'स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता' → French Revolution

16. न्याय की सुलभता
Effective access to Justice

17. निम्न अनुच्छेदों के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ मूल ढांचे में हैं :→

[i] Article 32 →
संवैधानिक उपचारों का अधिकार

[ii] Article 136 →
मूल अधिकारों के अलावा Supreme Cour में सीधे Apeal की जा सकती है।
[Supreme Court में प्रार्थना]

[iii] Article 141 :→
Supreme Court के आदेश सारे देश में लागू होंगे.

[iv] Article 142 →
Supreme Court के आदेशों के पालन की(प्रक्रिया

* प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार :→

1. Referendum / परिपृच्छा
2. Initiative / पहल
3. Recall / प्रत्यावर्तन
4. Plebiscite / जनमत संग्रह

* अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार :→

1. संसदीय शासन प्रणाली
2. अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

* [सामाजिक न्याय + आर्थिक न्याय = समवितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)]

भाग – I

* Union and its territory *

[संघ एवं इसका क्षेत्र]

अनुच्छेद (Article) – 1 (जब संविधान लिखा)

(i) भारत का नाम → भारत व India होगा

(ii) भारत एक राज्यों का संघ है [Union of State]

(अमेरीका में Fedration of State है) → राज्यों का समूह

(iii) - Territory of India → भारत का संपूर्ण क्षेत्र

(ii) - Union Territory → केन्द्र शासित प्रदेश

(iii) - Union of States → राज्यों का संघ

Article - 2 → नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना / भारत के बाहर के राज्यों को ले सकते हैं।

Article - 3 → भारत के राज्यों को केन्द्र सरकार कैसे भी तोड़-जोड़ सकती है।

- इसके लिए 2 condition होनी चाहिए →

(i) ऐसा कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत होगा।

(ii) वह प्रस्ताव संबंधित राज्य/ राज्यों को भेजा जाएगा व उनका सुझाव लिया जाएगा, फिर वह राष्ट्रपति के निर्णय पर आधारित होगा।

* संविधान संशोधन के Type →

(i) साधारण बहुमत → (Present Voting)

(ii) Special Majority → सदन की पूरी Strength का 50% +1 हो तथा उपस्थित मतदान का 2/3

(iii) आधे राज्यों की सहमति (Special Majority & Rectification)

* हमारी प्रस्तावना 4 बातें बताती है →

[i] शक्ति का स्रोत → जनता स्वयं

[ii] राज्य की प्रकृति → सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समानवादी

[iii] उद्देश्य → न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बन्धुत्व की भावना

[iv] सत्र → 26 November, 1949 A.D.
↓
संविधान दिवस

* N.A. पालकी वाला →
इन्होने प्रस्तावना को संविधान का Identity Card कहा है। [परिचय पत्र]

* K.M. मुंशी →
प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्मकुंडली है।

* अर्नेस्ट बर्कर →
प्रस्तावना संविधान का Key Note है।

* ठाकुर दास भार्गव →
प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।

* प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है :→ यह बात केशवानन्द भारती Case 1973' में सुप्रीम कोर्ट ने कही।

– इससे पूर्व पहली बार 'बेरूवाड़ी Case 1960' में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नही माना था, परन्तु पहली ही बार प्रस्तावना का महत्व बताया गया।

→ बेरूवाड़ी Case → बंगाल V/s भारत सरकार

* प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है → यह बात 'केशवानन्द भारती Case में Proof हुई।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

[illegible]

Q:→ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आधार पर संविधान के मूल ढांचे में क्या परिवर्तन है?

Q:→ संविधान का मूल ढांचा क्या है?

Ans 1. संविधान सर्वोच्च है। [संविधान की सर्वोच्चता]

2. सम्प्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक :- भारतीय राजव्यवस्था का सम्प्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक स्वभाव है।

3. संविधान का धर्म निरपेक्ष स्वरूप

4. शक्तियों का पृथक्करण [कार्यपालिका, विधायिका (व्यवस्थापिका) व न्यायपालिका के बीच पृथक्करण]

5. संविधान की संघीय प्रकृति

6. Welfare State [Socio. Economic. Justice]
कल्याणकारी राज्य (सामाजिक, आर्थिक, न्याय)

7. न्यायिक पुनरावलोकन

8. व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
~~This is not absolute but qualified~~

9. संसदीय शासन प्रणाली

10. कानून का शासन [Rule of Law]

11 मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य

12. समानता का सिद्धान्त [Principle of Equality]

13. मुक्त एवं स्वच्छ चुनाव

14. स्वतंत्र न्यायपालिका [Independent of Judiciary]

15. संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति [Limited Power of Parliament to Amendment in Constitution]

Toppersnotes
Unleash the topper in you

A-1

1956 में 7 वां संविधान संशोधन अधिनियम :→ इसमें पहली बार केन्द्र शासित प्रदेश बनाये गये इससे पूर्व भारत 4 तरह के राज्यों में विभक्त था → A, B, C, D.

- 1966 में 18 वां सं. सं. अधि. में Article 3 में संशोधन किया → राज्य को तोड़ सकते हैं व साथ ही राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को मिला सकते हैं, व नये राज्यों का निर्माण कर सकते हैं अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं
- इसके लिए विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, तथा राष्ट्रपति का दायित्व है, कि वह अपनी संस्तुति देने से पूर्व संबन्धित राज्य/राज्यों का मत जानने के लिए विधेयक को भेजा जायेगा।
- राज्य का मत मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
- ऐसा प्रस्ताव संसद में साधारण बहुमत अर्थात् उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से पास किया जाएगा।

→ Article 3 के तहत भारत के किसी भाग को किसी विदेशी सत्ता को नहीं दिया जा सकता।

- इस तरह का हस्तान्तरण Article 368 के तहत संविधा. संशोधन विधेयक के माध्यम से सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के माध्यम से किया जाएगा।
- सीमा निर्धारण के लिए Article 368 की जरूरत नहीं है।

* भारत एक 'विभाज्य राज्यों' का 'अविभाज्य संघ' है।

देश का एकीकरण

* Oct 1947 को 'जम्मू कश्मीर' का विलय किया गया।
- जम्मू - कश्मीर के शासक → हरिसिंह ने हस्ताक्षर किये।

* Feb. 1948 को जूनागढ़ रियासत का विलय किया [जनमत संग्रह द्वारा]
- यहाँ का शासक पाकिस्तान भाग गया था।

* Nov. 1948 में हैदराबाद रियासत का विलय [पुलिस कारवाई द्वारा]

III * 1954 में पाण्डिचेरी ~~का विलय~~ फ्रांस स्वतंत्र
↓
यनम, करेकाल, चन्द्रनगर
↳ विलय → बंगाल में
1962 में भारत में विलय (14 वाँ C.A.A.)

II * 1962 में गोवा, दमन द्वीव का विलय (12 वाँ C.A.A.)

I * 'दादर नगर हवेली' का विलय — 1962 A.D. मे
↓
1954 में स्वतंत्र करवाया था। (पुर्तगालियों से)
(10 वाँ C.A.A.)

राज्यों का पुनर्गठन

* 1948 A.D. में 'धर आयोग' का गठन किया गया
- इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। [S.K. धर की अध्यक्षता में]
- इस आयोग ने भौगोलिक व प्रशासनिक व्यवस्था को राज्य पुनर्गठन के लिए आधार बनाने का समर्थन किया।

* इस आयोग की समीक्षा के लिए 'JVP' आयोग बनाया गया।
  - जवाहर लाल नेहरू
  - वल्लभ भाई पटेल
  - पट्टाभिसीतारमैया
- इस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया [1948 A.D.]।

Imp. 1953 A.D. में एक व्यक्ति 'पोटी रामलू' के प्रयासों से तेलगु भाषी प्रदेश - आन्ध्र प्रदेश का गठन किया गया। [मद्रास प्रांत से अलग]

* 'फजल अली आयोग' का गठन किया गया।
  - फजल अली
  - हृदय नाथ कुंजरू
  - K.M. पणिकर

Imp. इस आयोग ने 1955 A.D. में भाषायी आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया।

Imp. यह पहला आयोग था, जिसने यह मांग स्वीकार की।

1 November 1956 से इस आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई ।

→ फजल अली आयोग की सिफारिश :→

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, किन्तु एक भाषा, एक राज्य का सिद्धान्त गलत है ।

- देश की एकता एवं सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से, भाषायी एवं सांस्कृतिक एकरूपता के दृष्टिकोण से, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तथा प्रत्येक राज्य एवं देश की जनता के वृहत् स्तर पर कल्याण के दृष्टिकोण से यह किया जाना चाहिए ।

→ राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में 14 राज्य व 6 केन्द्रशासित प्रदेश बने →

* 14 राज्य :-

1. आन्ध्रप्रदेश	2. आसाम	3. बॉम्बे
4. बिहार	5 जम्मू कश्मीर	6 केरल
7 मध्यप्रदेश	8 मद्रास	9 मैसूर
10 उड़ीसा	11 पंजाब	12. राजस्थान
13. उतर प्रदेश	14. पश्चिम बंगाल (West Beng.	

* 6 केन्द्र शासित प्रदेश :→

1. अण्डमान व निकोबार 2. दिल्ली 3. हिमाचल प्रदेश 4. लकादीवी मिनिकाय अमीनदीवी द्वीप समूह 5. मणिपुर 6. त्रिपुरा

* आन्ध्रप्रदेश के नया राज्य बनने के बाद 1960 में बाम्बे प्रान्त टूटा व 15 वाँ राज्य बना → गुजरात ← गुजराती, मराठी → महाराष्ट्र

* 16 वां राज्य बना → नागालैण्ड । 1963 में नाग. पहाड़ियों व आसाम के त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैण्ड बनाया ।

* 1966 में पँजाब का विभाजन हुआ →
17 वाँ राज्य बना → हरियाणा

* 1971 में केन्द्र शासित प्रदेश हिमाचल व पँजाब के पहाड़ी इलाके को मिलाकर बना → हिमाचल प्रदेश (18 वाँ)

* 1972 में → मणिपुर → 19 वाँ
त्रिपुरा → 20 वाँ
मेघालय → 21 वाँ (आसाम से अलग)

* 1947 तक सिक्किम एक शाही राज्य था, जिस पर चॉग्याल का शासन था। आजादी के बाद यह रक्षित राज्य बना।

→ रक्षित राज्य → कुछ-2 मुद्दे (रक्षा, संचार, विदेश संबंध) भारत देखेगा व अन्य सिक्किम स्वयं।

→ 1974 में 35 वें सं. सं. आधी. के तहत Article-2A व अनुसूची 10 जोड़ी गई। जिसके तहत सिक्किम को भारत का संबंध राज्य बनाया गया।

→ 1975 में 36 वें सं. सं. आधी. के तहत सिक्किम को भारत का 22 वाँ राज्य बनाया गया।

* 23 वाँ राज्य → मिजोरम
24 वाँ → अरूणाचल प्रदेश
25 वाँ → गोवा
} 1987 A.D. में

* 26 वाँ → छत्तीसगढ़
27 वाँ → उत्तराखण्ड
28 वाँ → झारखण्ड
} 2000 A.D. में

* केन्द्र शासित प्रदेश *

1. दादर - नगर हवेली :-
1954 तक पुर्तगाल का शासन
- 1961 तक स्थानीय जनता द्वारा चुना हुआ प्रशासक शासन करता था
- 10 वें सं. सं. विधेयक द्वारा इसे केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया [1961 A.D] में

2. गोवा, दमन - दीव पहले इकट्ठे ही थे ।1961 A.D. में पुलिस अधिग्रहण से 12वें संविधान संशोधन अधि० के द्वारा गोवा दमन व दीव को 1 ही केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया ।
- 1987 में जब गोवा को अलग से राज्य बनाया गया तो दमन - दीव एक ही केन्द्र शासित प्रदेश (U.T) बन गया ।

3. 1954 में चन्द्रनगर, माहे, कराइकल व यनम (जो कि फ्रांसीसी उपनिवेश थे) को मिलाकर पांडिचेरी बनाया । यह भारत में 14वें सं.सं. के माध्यम से UT बना ।

4. 1992 में लकादीवी, अमीनीदीवी व मिनिकाय से लक्षद्वीप बना

5. 1991 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना (NCR)
[National Capital ~~Region~~ Territory]

6. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह

7. चण्डीगढ़ (वर्तमान में)

* 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम 'उत्तरप्रदेश' रखा गया
* 1969 में मद्रास → 'तमिलनाडु'
* 1973 में मैसूर → कर्नाटक
* 2006 में उत्तरांचल → उत्तराखण्ड
* 2006 में पांडिचेरी → पुदुचेरी
* 2011 में उड़ीसा → ओडिशा

Toppersnotes
Unleash the topper in you

* 12 अनुसूचियाँ *

अनुसूची 1 →

राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम तथा उनकी सीमाओं का उल्लेख

अनुसूची 2. →

महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के वेतन - भत्ते :-
राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
राज्यसभा का सभापति व उपसभापति
विधानपरिषद का सभापति व उपसभापति
Supreme Court व High Court के न्यायाधीश
CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)

अनुसूची 3 →

शपथ :→

- संघ के मंत्री
- संसद के प्रत्याशी → MP
- (संसद के सदस्य)
- CAG
- Supreme Court व High Court के न्यायाधीश

- राज्य के मंत्री
- राज्य के प्रत्याशी → MLA
- (MLA सदस्य)

→ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नही है, इनका उल्लेख मूल संविधान में है।

अनुसूची 4 :→

विभिन्न राज्यों, व केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच सीटों के बंटवारे को बताया गया है।

- राज्यसभा सीट → 250
  वर्तमान - 245

Toppersnotes
Unleash the topper in you

अनुसूची 5 :→

अनुसूचित एवं जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
[आसाम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा को छोड़कर]

अनुसूची 6. :→

आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचि एवं जनजातिय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्राव धानों का उल्लेख है।

अनुसूची 7 :→

केन्द्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का उल्लेख है, इसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं ⇒

		प्रारंभ में	वर्तमान में
[i] संघ सूची	→	97 विषय +3	100
[ii] राज्य सूची	→	66 विषय -5	61
[iii] समवर्ती सूची	→	47 विषय +5	52

अनुसूची 8 :→

संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है
मूल संविधान में 14 भाषायें थी, जो वर्तमान में 22 हैं
बाद में जोड़ी गई भाषाएं :→

15. सिन्धी → 21 वें सं. सं. द्वारा 1967
16. मणिपुरी → 71 वें सं. सं. द्वारा 1992
17. नेपाली → ,, ,, ,,
18. कोंकणी → ,, ,, ,,
19. मैथिली → 92 वें सं सं द्वारा (2003)
20. संथाली → ,, ,, ,,
21. डोगरी → ,, ,, ,,
22. बोडो → ,, ,, ,,

अनुसूची 9 :→

यह अनुसूची प्रथम सं. सं. अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई ।

- इस अनुसूची में ऐसे विभिन्न कानूनों का उल्लेख है, जिसे विधायिका न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त रखना चाहती थी, किन्तु 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 April 1973 के बाद में इस अनुसूची में जो भी जोड़ा गया है, वह न्यायिक पुनरावलोकन के अन्तर्गत है ।

अनुसूची 10 :→

52 वें सं. सं. द्वारा 1985 में दल - बदल निरोधक कानून जोड़ा गया ।

अनुसूची 11 :→

73 वें सं. सं. अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई ।

- इसमें पंचायतो का उल्लेख है, जिन्हे 29 विषय दिये गये

अनुसूची 12 :→

74 वें सं. सं. अधि. 1992 के द्वारा 12 वीं अनुसूची जोड़ी गई ।

- इसमें नगर - पालिकाओं का उल्लेख है ।
- इनको 18 विषय दिये गये ।

- सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पूर्व निर्णय को बदलने का अधिकार उससे अधिक संख्या में गठित की गई पीठ के द्वारा ही किया जा सकता है ।

राज्य

राज्य, राजव्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा है।

→ राज्य का अर्थ प्रान्त न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।

- यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात् इसे भौतिक स्तर पर समझा तो जा सकता है, किन्तु देखा नहीं जा सकता

* **राज्य के तत्व** :→

किसी भी राज्य में अनिवार्यतः निम्न 4 तत्व विद्यमान होते हैं →

[1.] भूभाग [Geographical Area] :→

एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र [Geographical Area] जिसमें उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएँ करती हो।

जैसे → भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भू-भाग है।

[2.] जनसंख्या :-

राज्य के भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है।

- यदि जनसंख्या नहीं है, तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक।

[3.] सरकार :→

सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है, जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता हो।

Imp. राज्य व सरकार में यही अन्तर है, कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार इसकी मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।